No.Agr.B-B(1)-2/2023-loose
Government of Himachal Pradesh
Department of Agriculture

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla-4.

Dated:-Shimle-2, the 19-09-2023.

Subject:- The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry(Amendment) Bill, 2023.

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry(Amendment) Bill, 2023 in the Legislative Assembly during the current session in relaxtion of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973.

Three authenticated copies of the above mentioned Bill are enclosed herewith for taking further necessary action in the matter.

Yours faithfully,

(Chander Kumar)
Agriculture Minister,
Himachal Pradesh.

2023 का विधेयक

संख्यांक

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,

2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1 संक्षिप्त नाम ।

2 धारा 2 का संशोधन ।

3 धारा 23 का संशोधन ।

4 धारा 24 का संशोधन ।

5 धारा 55क का अन्तःस्थापन ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 को हिमाचल प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों नामतः चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में कृषि, औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के समरूप मानदंडों के प्रवर्तन हेतु तथा उक्त विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की वित्तीय व्यवस्थाओं तथा सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए भी समुचित उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

तथापि, हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 2, 23 और 24 में विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हेतु लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की कोई भूमिका नहीं है, यद्यपि इन संस्थाओं का वित्तपोषण अनुदान के रूप में राज्य–बजट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 युवा राष्ट्र की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु गुणात्मक परिवर्तन लाने और हमारी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक रूपरेखा की व्यवस्था करती है। इसके लिए हमें ऐसे कुलपतियों की आवश्यकता है जो बहु–शिक्षा शाखाओं वाली संस्थाओं जो संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हों, का सृजन करने में सक्षम हैं।

यह पाया गया है कि कुलपति के चयन से संबंधित विद्यमान उपबंध निर्बंधनात्मक हैं, क्योंकि ये लोगों की अपेक्षाओं का संज्ञान नहीं लेते तथा लोकतांत्रिक सरकार को उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं को सही रूप प्रदान करने के इसके अधिकार का प्रयोग करने हेतु अनुज्ञात नहीं करते। हमारे जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में, उच्चतर शिक्षा के संस्थानों की अध्यक्षता अवश्यमेव विख्यात लोगों द्वारा की जानी चाहिए, जो विश्वस्तर के संस्थानों और भारत के संविधान में उल्लिखित मूल्यों का परिवर्धन और सृजन कर सकें। अतः अधिनियम की धारा 2, 23 और 24 का संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए एक नई धारा 55–क को अन्तःस्थापित किया जा रहा है। इससे उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

चन्द्र कुमार

(चन्द्र कुमार)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला
तारीख 2023

Agriculture & A.H. Minister
Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

धारा 2 का संशोधन 2 हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (प) में "बनाए गए" शब्दों के पश्चात् "नियम," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 23 का संशोधन 3 मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) में "कुलाधिपति" शब्द के पश्चात् "सरकार की सहायता और सलाह पर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन 4 मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः—

"कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा सरकार की सहायता और सलाह पर ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाए"।; और

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

धारा 55क का अन्तःस्थापन 5 मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः—

"55—क नियम बनाने की शक्ति,—" (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल दस दिन की अवधि से अन्यून सत्र में हों, के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान के पूर्व

जिसमें यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।"

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(चन्द्र कुमार)
प्रभारी मन्त्री।

Agriculture & A.H. Minister
Himachal Pradesh

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीख, 2023

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) के उपबंधों के उद्धरण।

धाराएंः—

2 परिभाषाः— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;

(ग) "कृषि" से भूमि और जल व्यवस्था का आधारी और सहबद्ध विज्ञान, फसल उत्पादन, गृह विज्ञान, खाद्य विज्ञान, कृषि इंजीनियरी और प्रोद्यौगिकी, पशुचिकित्सा और दुग्धागार विज्ञान सहित पशुपालन, मत्स्य पालन, मशरूम उगाना, मधुमक्खी पालन, चाय उगाना, रेशम कीट पालन, सब्जी उत्पादन, सामाजिक विज्ञान और कृषि विपणन, प्रसंस्करण, सहकारिता, भूमि उपयोग और व्यवस्था और ग्रामीण लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 10 में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड.) "बोर्ड" से धारा 12 के अधीन यथा गठित विश्वविद्यालय का प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "पाठ्य बोर्ड" से अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(छ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ज) "महाविद्यालय" से बोर्ड के सीधे नियन्त्रण और प्रबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय अभिप्रेत है चाहे वह मुख्यालय में, कैम्पस में, या अन्यत्र में स्थित हो;

(झ) "शिक्षा और अनुसंधान परिषद्" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी शिक्षा और अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;

(ञ) "संकायाध्यक्ष" से महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) "विद्यमान विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (2) विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ठ) "प्रसार" से कृषि, औद्यानिकी और वानिकी की उन्नत प्रथाओं सम्बन्धी और फसलोपरान्त प्रोद्यौगिकी और विपणन सहित कृषि औद्यानिकी और वानिकी सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रोद्यौगिकी के विभिन्न फेजों में लगे फलोंद्यानियों, कृषकों और अन्य समूहों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शिक्षा कार्यकलाप अभिप्रेत है;

(ड) "संकाय" से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार के कर्मचारीवृन्द अभिप्रेत है जिनके अन्तर्गत कर्मचारीवृन्द के सभी ऐसे सदस्य हैं जो सहायक—आचार्य और उसके ऊपर के रैंक के हैं;

(ढ) ”वानिकी” से वन वर्धन, पादप प्रजनन, फार्म वानिकी, जीव क्षेत्र पारिस्थितिकी के संरक्षण, वन्य जीवन, रेशम कीट पालन, औषधि और सुरभि पौधों और उनके उत्पादकों से सम्बन्धित आधारी और सहबद्ध विज्ञान अभिप्रेत है;

(ण) ”सरकार” या ”राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(त) ”राज्यपाल” से हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(थ) ”औद्यानिकी ” से फलों, सब्जियों, पुष्प उत्पादन, रोपण, फसलें, मसालों और हाप्स का आधारी और सहबद्ध विज्ञान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मशरूम उगाना, भूदृष्य, मधुमक्खी पालन और औद्यानिकी उत्पादन का विपणन और प्रसंस्करण है;

(द) ”छात्रावास” से विश्वविद्यालय के छात्रों का निवास स्थान अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय के भाग के रूप में या पृथकतः विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(ध) ”अधिकारी” से अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(न) ”राजपत्र” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(प) ”विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) ”विनियम” से अधिनियम की धारा 10 में यथा विनिर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट समझे गए प्राधिकरणों के प्रवर्तन और कार्यकरण के लिए स्थापित नियम और प्रक्रियाएं अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर की स्थापना और अनुरक्षण के सम्बन्ध में बनाए गए उपबन्ध और विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकरण द्वारा विद्यार्थियों, कर्मचारीवृन्द और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के आचरण के लिए और विश्वविद्यालय के नेमी कारबार के संचालन के लिए बनाए गए उपबन्ध हो सकेंगें और इसके अन्तर्गत कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हो सकेंगें;

(ब) ”अनुसूचित जाति” से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6 में विनिर्दिष्ट और/या सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति अभिप्रेत है;

(भ) ”अनुसूचित जन जाति” से संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950 को अनुसूची के भाग 5 में विनिर्दिष्ट और/या सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जन जाति अभिप्रेत है;

(म) ”परिनियम” से अधिनियम की धारा 53 में यथा उपवर्णित, नीति और प्रक्रिया को शासित करने वाले विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत है;

(य) ”विद्यार्थी” से सम्यक रूप में संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए विश्वविद्यालय में अध्ययन–पाठ्यक्रम लेने के लिए विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(र) ”अध्यापक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 39 के अधीन शिक्षा देने और/या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने और/या विस्तार प्रोग्राम के प्रयोजन के लिए

नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकेगा जो परिनियमों द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, अध्यापक के रूप में घोषित किया जाए;

(ल) "विश्वविद्यालय" से हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और/या इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित या निगमित समझी गई डाक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हर्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन अभिप्रेत है; और

(व) "कुलपति" से इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

23 कुलाधिपति (1) राज्यपाल, अपने पद के कारण विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा और यदि उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अधीन होगा।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे कि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उसे प्रदत्त किए जाए्र या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

24 कुलपति (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसे कुलाधिपति

द्वारा निम्नलिखित से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगाः—

(i) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती;

(ii) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्; और

(iii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उसका नामनिर्देशिती।

(2) कुलाधिपति, उप–धारा (1) निर्दिष्ट सदस्यों में से एक को चयन समिति का अध्यक्ष नाम निर्देशित करेगा।

(3) कुलपति, सामान्यत पांच वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अन्य पांच वर्षों के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा किन्तु 65 वर्ष की आयु के पश्चात् नहीं। कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी की विहित की जाएं और वे उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अहित में नहीं बदली जाएंगीः

परन्तु कुलाधिपति उसे तब तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकेगा जब तक उसका उतराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3–क) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलम्बित कर सकेगा–

(क) जहां इस धारा की उप–धारा (6) के अधीन कोई जांच अनुध्यात है या लम्बित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, वह विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लगा हुआ है; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसका कार्यालय में बना रहना अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (अर्थात् दस्तावेजों से आशंकित छेड़छाड़ या गवाहों पर असर डालना)।

(3–ख) निलम्बित कुलपति छुट्टी सम्बलम की रकम के बराबर जीवननिर्वाह भत्ते का, जिसे कुलपति ने अर्हित किया होता यदि वह अर्ध औसत वेतन या अर्धवेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का, यदि वह ऐसे छुट्टी सम्बलम के आधार पर अनुज्ञेय है हकदार होगा;

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो जाती है तो कुलाधिपति जीवन निर्वाह भत्ते की रकम में, प्रथम तीन मास की अवधि की पश्चात्वर्ती किसी अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगाः–

(i) जीवन निर्वाह भत्ते की, उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन–निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, बढ़ोतरी की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगें, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः कुलपति को आरोप्य नहीं है;

(ii) जीवन निर्वाह भत्ते की, उपयुक्त रकम द्वारा, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय जीवन–निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न हो, घटाई की जा सकेगी, यदि कुलाधिपति की राय में निलम्बन की अवधि, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जा सकेंगें, बढ़ी है जो प्रत्यक्षतः कुलपति को आरोप्य है; और

(iii) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (i) और (ii) के अधीन अनुज्ञेय जीवन–निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई रकम पर आधारित होगी।

(3–ग) उप–धारा (3–ख) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक की कुलपति यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।" ; और

(4) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित उस द्वारा हस्ताक्षरित एक मास का नोटिस देकर, अपना पद त्याग सकेगा। कुलाधिपति, नोटिस की अवधि का अधित्याग कर सकेगा और राज्य सरकार के परामर्श से त्यागपत्र तुरन्त स्वीकार कर सकेगा।

(5) कुलाधिपति छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारणवश कुलपति की अस्थाई अनुपस्थिति के दौरान कुलपति के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से, ऐसे प्रबन्ध कर सकेगा जैसे वह उचित समझे। जहां कुलपति का पद त्यागपत्र द्वारा या अन्यथा स्थाई रूप से रिक्त हो जाए, तो रिक्ति इस धारा की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार भरी जाएगी

और इस प्रकार नियुक्त कुलपति पूरी अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप करता है या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना, विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, कुलपति को इसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के लिए कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

परन्तु कि, इस अधिनियम की यथास्थिति धारा 8 या 8क के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की स्थिति में, न ही इस उपधारा के अधीन आगे की जांच आवश्यक होगी, लेकिन कुलपति को जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराकर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No.   of   2023

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 23.
4. Amendment of section 24.
5. Insertion of section 55A.

BILL No. of 2023

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSTIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 # (Act No. 4 OF 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title Amendment of section 2.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry # (Amendment) Act, 2023.
2. In section 2 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (u), after the words "prescribed by", the words and sign "the Rules shall be inserted."

Amendment of section 23.

3. In section 23 of the principal Act, in sub-section (4), after the words "The Chancellor", the sign and the words "on the aid and advice of the Government," shall be inserted.

Amendment of section 24.

4. In section 24 of the principal Act,-
   (i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-
   "The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University, who shall be appointed by the Chancellor on the aid and advice of the Government in the manner as may be prescribed by the rules."; and
   (ii) sub- section (2) shall be omitted.

Insertion of section 55A.

5. After section 55 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"55-A. Power to make rules.- (1) The State Government may , by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 was enacted to make suitable provisions for enforcing uniform standards of teaching, research and extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry in the two Universities of Himachal Pradesh namely the Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalya at Palampur and Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry at Solan, as also, for having uniformity in financial arrangements and in service conditions of the employees in the said Universities.

However, in section 2, 23, 24 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 there was no role of the democratically elected Government for appointment of Vice-Chancellor in the Universities even though the State Government issues Grant-in-Aid to these institutions. The National Education Policy, 2020 lays the broad framework to bring about the qualitative changes to meet the aspirations of a young nation and to align our education system to meet global changes. For this we need to have Vice-Chancellors who are capable to create multi-disciplinary institutions that are committed to constitutional values and nation building.

It is found that the existing provisions regarding selection of the Vice-Chancellor are restrictive as these do not take into account the aspirations of the people and do not allow democratic Government to exercise its right to shape the institutions of higher learning. In democratic nation like ours, the institutions of higher learning must be headed by the people of eminence who can create world class institutions that promote and foster values enshrined in the Constitution of India. Therefore, sections 2, 23, 24 of the Act need to be amended. Further, a new section 55-A empowering the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act is being inserted. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(CHANDER KUMAR)
Minister-in-Charge.
Agriculture & A.H. Minister
Himachal Pradesh

SHIMLA:
THE , 2023.

FINANCIAL MEMORANDUM

----NIL----

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSTIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987).

(CHANDER KUMAR)
Minister-in-Charge.

Agriculture & A.H. Minister
Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:
THE , 2023.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) ACT, 1986 (ACT NO. 4 OF 1987) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDEMNT BILL

Sections:

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Act" means the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986;

(c) "agriculture" means the basic and applied sciences of soil and water management, crop production, home science, food science, agricultural engineering and technology, animal husbandry including veterinary and dairy science, fisheries, mushroom growing, bee-keeping, tea cultivation, sericulture, vegetables, social sciences and agricultural marketing, processing, co-operation, land use and management and economic and social uplift of the rural people;

(d) "authority" means any authority as specified in section 10 of this Act;

(e) "Board" means the Board of Management of the University as constituted under section 12;

(f) "Board of Studies" means the Board constituted under section 18 of the Act;

(g) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

(h) "college" means a constituent college of the University under the direct control and management of the Board whether located at the headquarters, campus or elsewhere;

(i) "Council for Education and Research" means the Himachal Pradesh Council of Agricultural, Horticultural and Forestry Education and Research, set up under section 9 of the Act;

(j) "Dean" means the Dean of a college;

(k) "existing University" means a University specified in column (2) of the Schedule to this Act;

(l) "extension" means educational activities concerned with the training of orchardists, farmers and other groups serving agriculture, horticulture, and forestry, in improved practices related thereto and the various phases of scientific technology related to agriculture, horticulture and forestry, including post-harvest technology and marketing;

(m) "faculty" means teaching, research and extension staff of a college or a department of the University, including all members of the staff having the rank of an Assistant Professor and above;

(n) "forestry" means and includes basic and applied sciences concerning silviculture, plant breeding, farm forestry, conservation of ecology of the biosphere, wild life, sericulture, medicinal and aromatic plants and their products;

(o) "Government" or "State Government" means Government of the State of Himachal Pradesh;

(p) "Governor" means the Governor of the State of Himachal Pradesh;

(q) "horticulture" means the basic and applied sciences of fruits, vegetables, floriculture plantation, crops, spices, hops and shall include mushroom growing, landscaping, beekeeping, marketing and processing of horticultural produce;

(r) "hostel" means a place of residence for students of the University maintained or recognised by the University either as a part of or separate from a college;

(s) "officer" means an officer of the University as specified in section 22 of the Act;

(t)"Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(u) "prescribed" means prescribed by the Statutes and Regulations made under the Act;

(v) "Regulations' means the rules and procedures established for the operation and functioning of the authorities as specified or deemed to have been specified in section 10 of the Act and may include the provisions made by the Academic Council relating to the establishment and maintenance of academic standards of the University as well as the provisions made by the competent authority of the University for the conduct of students, staff and other employees of the University and for conducting the routine business of the University and these may include provisions relating to the service conditions of employees;

(w) "scheduled castes" means the scheduled castes specified in Part-VI of the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and/or notified by the Government;

(x) "scheduled tribes" means the scheduled tribes specified in Part-V of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and/or notified by the Government;

(y) "Statutes" means the Statutes of the University governing matters of policy and procedure as set forth in section 53 of the Act;

(z) "student" means a person enrolled in the University for undergoing a course of studies in that University for obtaining a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;

(za) "teacher" means a person appointed under section 39 of the Act for the purpose of imparting instructions and/or conducting and guiding research and/or extension programme and may include any other person who may be declared by the Statutes to be a teacher on such terms and conditions as may be prescribed by the Board;

(zb) "University" means the Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur and/or Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan as incorporated or deemed to have been incorporated under this Act; and

(zc) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 24 of Act.

23. Chancellor.- (1) The Governor shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside at any Convocation of the University.

(3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on him by this Act or the statute.

24. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University, who shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee consisting of-

(i) a nominee of the Chancellor;

(ii) the Director General, Indian Council of Agricultural Research; and

(iii) the Chairman, Universities Grants Commission or his nominee.

(2) The Chancellor shall nominate one of the members referred to in sub-section (1) as the Chairman of the Selection Committee.

(3) The Vice-Chancellor shall normally hold office for a term of three years and be eligible for re-appointment for another three years but not beyond the age of 65. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not be varied to his disadvantage after his appointment:

Provided that the Chancellor may allow him to continue in office until his successor is appointed but this period shall not exceed one year.

(3-a) The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,-

(a) where an enquiry under sub-section (6) of this section is contemplated or pending; or

(b) where in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tampering with documents or to influence witnesses).

(3-b) The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows:-

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor;

(ii) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor; and

(iii) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clause (i) and (ii).

(3-e) No payment under sub-section (3-b) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(4) The Vice-Chancellor may resign by giving a notice of one-month in writing under his signatures addressed to the Chancellor. The Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith in consultation with the State Government.

(5) During temporary absence of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any other cause, the Chancellor may make such arrangements for carrying out the duties of the Vice-Chancellor, as he may deem fit, from amongst the senior faculty members of the University. Where the post of the Vice-Chancellor falls permanently vacant either by resignation or other-wise, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (1) of this section and the Vice-Chancellor so appointed shall hold office for a full term or till the attainment of the age of 65 years, whichever is earlier.

(6) If, in the opinion of the Chancellor a Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if it appears to the Chancellor that the continuance of that Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, by order, remove the Vice-Chancellor, after giving him an opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him:

Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 8 or section 8-A of this Act, as the case may be, nor further enquiry shall be

necessary under this sub-section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.